

महिला आरक्षण वधियक, 2023 में OBC संबंधी चर्चाएँ

प्रलम्ब के लिये:

महिला आरक्षण वधियक, 2023, अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) का उप-वर्गीकरण, सर्वोच्च न्यायालय, गीता मुखर्जी रिपोर्ट, मंडल आयोग, NCBC के लिये संवैधानिक दर्जा, न्यायमूर्त्ति. रोहणी आयोग

मेन्स के लिये:

OBC महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण के पक्ष और वपिक्ष में तर्क, OBC आरक्षण का ऐतहासिक विकास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पारित [महिला आरक्षण वधियक, 2023](#) में [अन्य पछिड़ा वर्ग](#) की महिलाओं के लिये **कोटा खत्म** किया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। आलोचकों ने इस कदम को **प्रमुख सरकारी पदों पर OBC के नमिन प्रतिनिधित्व** को लेकर चर्चा के रूप में इंगति किया है।

अन्य पछिड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व संबंधी चर्चाएँ:

■ संदर्भ:

- **महिला आरक्षण वधियक 2023**, जो लोकसभा और राज्य वधानसभाओं में **महिलाओं के लिये 33% सीटें आरक्षित करता है**, में OBC की महिलाओं के लिये कोई प्रावधान नहीं है।
 - इसके अलावा [अनुसूचित जाति](#) और [अनुसूचित जनजाति](#) के वपिरीत भारतीय संवधान लोकसभा अथवा राज्य वधानसभाओं में **OBC के लिये राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है**।

■ प्रमुख मुद्दे:


- आलोचकों का तर्क है कि **OBC, जो आबादी का 41% हसिसा हैं** (राष्ट्रीय प्रतिदिर्श सर्वेक्षण संगठन के वर्ष 2006 के सर्वे के अनुसार), का लोकसभा, राज्य वधानसभाओं और स्थानीय सरकारों में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।
 - ये एससी और एसटी के लिये आरक्षण की तरह ही लोकसभा और राज्य वधानसभाओं में अपने लिये **अलग कोटा की मांग कर रहे हैं**।
 - हालाँकि सरकार ने वधिक एवं संवैधानिक बाधाओं का हवाला देते हुए ऐसा कोटा लागू नहीं किया है।
- उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी कई राज्य सरकारों ने इन्हें स्थानीय निकाय चुनावों में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया है।
 - लेकिन [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने समग्र आरक्षण पर **50% की सीमा आरोपित की है** (विकास कशिनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य), जिसमें OBC आरक्षण को 27% तक सीमित किया गया है।
 - 50% की यह ऊपरी सीमा **इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ फैसले** के अनुरूप है।
 - इस निर्णय की इस आधार पर आलोचना की गई कि **27% आरक्षण, राज्यों में OBC जनसख्या के अनुपात में नहीं है**।

■ लोकसभा में OBC सदस्यों की वर्तमान संख्या:

- 17वीं लोकसभा में OBC समुदाय से लगभग 120 सांसद हैं, जो लोकसभा की कुल सदस्य क्षमता का लगभग 22% है।

Caste profile of 17th Lok Sabha

Upper caste Minorities SCs STs OBCs



Source: Lok Sabha

//

गीता मुखर्जी रपॉर्ट:

- गीता मुखर्जी रपॉर्ट में महिला आरक्षण वधियक की व्यापक समीक्षा की गई थी जसि पहली बार वर्ष 1996 में संसद में प्रस्तुत किया गया था।
- इस रपॉर्ट में वधियक में सुधार हेतु सात सफारिशों की गई थी, जसिका उद्देश्य लोकसभा एवं राज्य वधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण प्रदान करना था।
- कुछ सफारिशें इस प्रकार हैं:
 - 15 वर्ष की अवधि के लिये आरक्षण।
 - एंग्लो इंडियंस के लिये उप-आरक्षण भी शामिल हो।
 - ऐसे मामलों में आरक्षण जहाँ राज्य में लोकसभा में तीन से कम सीटें हैं (या अनुसूचति जात/अनुसूचति जनजात के लिये तीन से कम सीटें हैं)।
 - इसमें दलिली वधानसभा के लिये आरक्षण भी शामिल है।
 - राज्यसभा और वधानपरषिदों में सीटों का आरक्षण।
 - संवधान द्वारा OBC के लिये आरक्षण का वसितार करने के बाद OBC महिलाओं को उप-आरक्षण प्रदान करना।

OBC महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण के पक्ष और वपिक्ष में तरक:

पक्ष में तरक	वरिद्ध तरक
<ul style="list-style-type: none"> उन्हें अपनी जात, वर्ग और लिंग के आधार पर कई प्रकार के भेदभाव व उत्पीडन का सामना करना पड़ता है। प्रायः उन्हें शक्ति, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक न्याय तक पहुँच से वंचित कर दिया जाता है। वे वभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के साथ आबादी के एक बड़े एवं वविधि वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी अलग-अलग आवश्यकताएँ और आकांक्षाएँ हैं जनिा अनन्य श्रेणियों की महिलाओं द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है। उन्हें ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व दिया गया है तथा हाशिये पर 	<ul style="list-style-type: none"> वधियक में पहले से ही अनुसूचति जात/अनुसूचति जनजात की महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, जो कि समाज में सबसे वंचित एवं कमजोर समूह हैं। OBC महिलाओं के लिये एक और कोटा जोड़ने से सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिये उपलब्ध सीटें कम हो जाएंगी, जनिहें पुरुष-प्रधान राजनीतिक व्यवस्था में भेदभाव तथा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। OBC महिलाओं के लिये अलग आरक्षण का वचार महिला आंदोलन के बीच और अधिका वभाजन एवं संघर्ष पैदा करेगा। यह सामाजिक परिवर्तन के लिये सामूहिक शक्ति के रूप में महिलाओं की एकजुटता व एकता को भी कमजोर करेगा। OBC महिलाओं के लिये अलग आरक्षण से उनकी समस्याओं जैसे-

पक्ष में तरक	वरिद्ध तरक
रखा गया है। उन्हें पतिसत्तात्मक मानदंडों, जातगत पूरवाग्रहों, हसलल एवं धमकी, संसाधनों तथा जागरूकता की कमी व कम आतमवशुवास जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा है।	गरीबी, अशकुषल, हसलल, पतिसत्ता, जातवलद और भ्रषुटाचार के मूल कारणों का समाधान नहीं होगा। <ul style="list-style-type: none"> यह राजनीतकु कषेत्र में उनकी प्रभावी भागीदारी और प्रतनलधलतलव की गारंटी भी नहीं देगा, कयोंक उनहें अभी भी अपने दलों तथा समुदायों के पुुरुष नेताओं द्वारा प्रतीकात्मकता, सह-वकललप, हेर-फेर एवं वरचसव जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

भारत में OBC आरक्षण का ऐतहलसकु वकलस:

- **कालेलकर आयोग (1953):** यह यात्रा वर्ष 1953 में कालेलकर आयोग की स्थापना के साथ शुरू हुई, जसलने राषुटरीय स्तर पर अनुसूचलतल जातल (Scheduled Castes- SC) और अनुसूचलतल जनजातल (Scheduled Tribes- ST) से परे पछलड़े वर्गों को मान्यता देने का पहला उदाहरण पेश कयल।
- **मंडल आयोग (1980):** वर्ष 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रपुौरुट में **OBC आबादी 52%** होने का अनुमान लगाया गया था और देशभर में 1,257 समुदायों को पछलड़े वर्ग के रूप में पहचाना गया। इसने मौजूदा कोटा (जो पहले केवल SC/ST के लयल लागू था) को 22.5% से बढ़ाकर 49.5% करने का सुझाव दयल।
 - इन सुझावों के बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 16(4) के तहत OBC के लयल केंद्रीय सवलल सेवा में 27% सीटें आरक्षणतल करते हुए आरक्षण नीतल लागू की।
 - यह नीतल अनुच्छेद 15(4) के तहत केंद्र सरकार के शैक्षणकु संस्थानों में भी लागू की गई थी।
- **"क्रीमी लेयर" बहषुकरण (2008):** आरक्षण का लाभ सबसे वंचतल वयकृतयों तक पहुँचे यह सुनशुचलतल करने के लयल सर्वोच्च न्यायालय ने OBC समुदाय में से "क्रीमी लेयर" को आरक्षण से बाहर करने का नरुदेश दयल।
- **NCBC के लयल संवैधानकु स्थतलतल (2018):** 102वें संवधान संशोधन अधनलयम ने **राषुटरीय पछलड़ा वर्ग आयोग (NCBC)** को संवैधानकु दरजा प्रदान कयल, जसलसे OBC सहतल पछलड़े वर्गों के हतलों की सुरक्षा हेतु इसके अधकलर और मान्यता में वृद्धल हुई।
- **न्यायमूरुतलजी. रोहणल आयोग: संवधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार, 2 अकुतुबर, 2017 को** इसका गठन कयल गया और **न्यायमूरुतलजी. रोहणल की अधयकषुता वाले आयोग** ने लगभग छह वर्ष बाद अन्य पछलड़ा वर्ग (OBC) की जातयों के उप-वर्गीकरण के लयल लंबे समय से प्रतीकषुतल रपुौरुट सामाजकु न्याय तथा अधकलरतल मंत्रालय को सौंपल।
 - रपुौरुट OBC के बीच उप-वर्गीकरण की अनवलरयुता को रेखांकतल करती है।
 - इस उप-वर्गीकरण का उद्देश्य ऐतहलसकु रूप से कम प्रतनलधलतलव वाले OBC समुदायों के लयल अवसरों को बढ़ाने हेतु मौजूदा 27% आरक्षण सीमा के अंतरगत आरक्षण आवटतल करना है।

UPSC सवलल सेवा परीकुषा, वगतल वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. भारत के नमलनलखलतल संगठनों/नकलयों पर वचलर कीजयल: (2023)

1. राषुटरीय पछलड़ा वर्ग आयोग
2. राषुटरीय मानव अधकलर आयोग
3. राषुटरीय वधल आयोग
4. राषुटरीय उपभोक्ता ववलद नवलरण आयोग

उपरयुक्त में से कतलने सांवधानकु नकलय हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (a)

